

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 3737R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई बारे में
------------------------	--------------------------------	--------------------------------

27/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती लखीचंद स्वाम पिता/पति दुर्गा स्वाम
 मौजा अपवालावाँग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या- 138
 ... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 81 / 66-67 के आधार पर दर्ज है।
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>अपवालावाँग</u>	<u>282</u>	<u>192</u>	<u>126</u> <u>213</u>	<u>0.14</u> <u>2.23</u> <u>2.37 (000)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 27/10/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
अड़की।

01/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितीकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती नरसीचरण झा
..... पिता/पति दुर्गा झा मौजा-84(बालाबाग) थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-84(बालाबाग) थाना नं० 282 खाता सं० 192
प्लॉट सं० 126, 213 रकबा-0.14, 2.23 लगान 1.17 रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुसू
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-84(बालाबाग)
बाग थाना नं० 282 के पंजी- II भौलुम (VOL-4.....) के पृष्ठ संख्या-138 पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।